संख्या–970/11–क. नि.–6–2001–बोस.एम. (158)/99 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनाँक : 30 अप्रैल 2001

विषय : मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को प्रोत्साहन देने की एक योजना शासनादेश संख्या–1161/11–क.स.वि.–6–99–बीस.आर. (12)/98 दिनांक 13.7.99 द्वारा लागू की गई है एवं उसी के क्रम में शासनादेश संख्या–2532/11–के.नि.–6–2001–बीस.आर.(12)/98 दिनांक 17.1.2001 एवं शासनादेश संख्या–813/11–क.नि.–6–2001–बीस.आर.(12)/98 दिनांक 4.4.2001 द्वारा उपरोक्त मूल शासनादेश दिनांक 13.7.99 में आंशिक संशोधन भी किये गये हैं । उक्त शासनादेशों में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। कतिपय जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति देने के पूर्व शासन से मार्ग–दर्शन की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि मल्टीप्लेक्स निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक नियम निर्गत नहीं किये जा सके हैं।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक व्यवस्था के रूप में मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निम्नांकित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे :–

1– मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति देने से पूर्व, सामूहिक व्यवस्थाओं के लिए उन्हीं नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो वर्तमान में एक सिनेमा के निर्माण के लिये उ0प्र0 चलचित्र नियमावली–1951 के अन्तर्गत प्राविधानित है।

2– मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत प्रत्येक सिनेमा हाल के निर्माण को स्वीकृति देने से पूर्व ब्यूरों आफ इण्डियन स्टैण्डर्स द्वारा प्रकशित "बाइलाज फार कन्सट्रक्शन आफ सिनेमा बिल्डिंग्स–1987" में सिनेमा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधियों की धारा–5.2.2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रत्येक सिनेमा हाल हेतु प्रस्तावित भवन में ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एंव निकास की व्यवस्था, अग्नि शमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप में सुनिश्चित की जा सकें। इन सभी व्यवस्थाओं हेतु ब्यूरों आफ इण्डियन स्टैण्ड्डर्स को विभिन्न उपविधियों में दिये गये पृथक–पृथक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. जिलाधिकारी निर्माण की अनुमति देते समय अनुमति आदेश में इस आशय का उल्लेख भी करेंगे कि प्रश्नगत मल्टीप्लेक्स का लाइसेन्स तभी निर्गत किया जायेगा जब मल्टीप्लेक्स का निर्माण ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डड्र्स को उक्त उपविधियों में अंकित मानकों के अनुरूप होगा।

4. मल्टीप्लेक्स निर्माण को अनुमति/स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपविधियों के बनने के पश्चात् मल्टीप्लेक्स का उसके अनुरुप होना संबंधित स्वामियों का उत्तरदायित्व होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या 970 (1)/11–क.नि.–6–2001, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 प्रभात कुमार
विशेष सचिव